

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 613]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2013/पौष 3, 1935

No. 613]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2013/PAUSA 3, 1935

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा—III)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2013

सा.का.नि. 789(अ).—दिल्ली विकास (विविध)नियम, 1959, के नियम (4) के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना सा.का.नि. सं. 770 (अ), दिनांक 18.10.2012 द्वारा अधिसूचित भर्ती विनियमों के अधिक्रमण में, दिल्ली विकास प्राधिकरण, उपराज्यपाल, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना सं. 18011(28)/67-यू.डी., दिनांक 14.02.1969 द्वारा उनको प्रदत्त केन्द्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा दि.वि.प्रा. में निम्न श्रेणी लिपिक एवं टंकक (अंग्रेजी/हिंदी) के पदों के भर्ती के तरीके को संचालित करने वाले निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ

- i) नीचे दी गयी अनुसूची में दिए गए इन विनियमों को “निम्न श्रेणी लिपिक एवं टंकक (अंग्रेजी/हिंदी), 2011 (संशोधित) की भर्ती” कहा जाए ।
- ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. निरर्हता

कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:-

- (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो: अथवा
- (ख) जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो और उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो ।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीकार्य स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो वह उस व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

3. शिथिल करने की शक्ति

जब अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके व्यक्तियों अथवा पदों के किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।

4. बचाव

इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में निम्न श्रेणी लिपिक एवं टंकक (अंग्रेजी/हिंदी) के पद हेतु संशोधित भर्ती विनियम

1.	पद का नाम	निम्न श्रेणी लिपिक एवं टंकक (अंग्रेजी/हिंदी)
2.	पदों की संख्या	1101(कार्यभार के अनुसार पदों की संख्या परिवर्तनीय है)
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग' लिपिक वर्गीय
4.	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड—I, 5200—20200/—रु., ग्रेड वेतन—1900/—रु.
5.	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद	अचयन
6.	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत स्वीकार्य है ?	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों एवं दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों को, केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार, आयु सीमा में 40 वर्ष तक छूट)
8.	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	i) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष योग्यता। ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग की गति। (प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 की डिप्रेशन पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट के लिए क्रमशः 10500 के डी पी एच एवं 9000 के डी पी एच हैं।)
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी ?	क) आयु सीमा — कोई नहीं ख) शैक्षिक एवं अन्य अर्हता — हाँ, उपर्युक्त कॉलम संख्या 8 के अनुसार
10.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष

11.	भर्ती की पद्धति : क्या चयन सीधी भर्ती द्वारा है अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा है तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	(1) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (50 प्रतिशत निम्न श्रेणी लिपिक एवं अंग्रेजी टंकक और 25 प्रतिशत निम्न श्रेणी लिपिक एवं हिंदी टंकक) (2) 15 प्रतिशत रिक्तियाँ समूह 'घ' के उन सभी नियमित कर्मचारियों (जिन्हें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग रिपोर्ट के अनुसार समूह 'ग' में अपग्रेड किया जाएगा) से विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा जो समकक्ष अर्हता रखते हों और जिन्होंने समूह 'घ' के पद (जिसे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार समूह 'ग' में अपग्रेड किया जाएगा) पर दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो। पैनल योग्य उम्मीदवारों के बीच परस्पर वरिष्ठता बनाए रखते हुए मैरिट के आधार पर तैयार किया जाएगा। (3) वरिष्ठता एवं फिटनेस द्वारा 10 प्रतिशत रिक्तियाँ, वे कर्मचारी जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा पास कर ली है अथवा, समकक्ष अर्हता प्राप्त की है और नियमित समूह 'घ' पद में न्यूनतम 2 वर्षों की नियमित सेवा की हो, को छठे
-----	---	--

		केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार समूह 'ग' में पदोन्नत किया जाएगा । माली, सुरक्षा रक्षक इत्यादि जैसे— अपने संवर्ग में परिभाषित पद सोपान रखने वाले सभी समूह 'घ' कर्मचारियों को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार समूह 'ग' में पदोन्नत किया जाए और वे निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में पदोन्नति के हकदार नहीं होंगे ।
12.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/ स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति की जानी है ।	कॉलम 11 में किए गए वर्णन के अनुसार
13.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है ?	पदोन्नति हेतु दि.वि.प्रा. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित "समूह 'ग' के कर्मचारियों के लिए कनिष्ठ स्तर की विभागीय पदोन्नति समिति" ।

[सं. एफ 6(13)89/पी.बी.— III /पार्ट/आरआरएस/3424]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**[Personnel Branch-III]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th December, 2013

G.S.R. 789(E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with Rule (4) of the Delhi Development (Misc.) Rules, 1959, and in supersession of Recruitment Regulations, notified vide Notification No. G.S.R. No.770 (E), dated 18.10.2012, the Delhi Development Authority, with the previous approval of the Lt. Governor, Delhi, exercising the powers of the Central Government conferred on him vide Notification No. 18011 (28)/67-UD, dated 14.02.1969, hereby makes the following Regulations regulating the method of recruitment to the posts of Lower Division Clerk-cum-Typist (English / Hindi) in the DDA.

1. Short title and commencement:

- These Regulations as given in the schedule placed below may be called the "Recruitment of Lower Division Clerk-cum-Typist (English/Hindi.), 2011 (Revised).
- These regulation shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Disqualification - No Person,-

- Who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living ; or
- Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Regulation.

3. Power to relax:

Where the Chairman, Delhi Development Authority, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulation with respect to any class or category of persons or posts.

4. Saving:

Nothing in these Regulation shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

REVISED RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF LOWER DIVISION CLERK-CUM-TYPIST(ENGLISH/HINDI) IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

1.	Name of Post	Lower Division Clerk-cum-Typist (English / Hindi)
2.	No. of Posts	1101 (Subject to variation dependent on workload)
3.	Classification	Group 'C' Ministerial
4.	Pay Band and Grade Pay/Pay scale	Pay Band-1 Rs. 5200-20200/- Grade Pay- Rs. 1900/-
5.	Whether selection post or non selection post	Non Selection
6.	Whether benefits of added years of service admissible under Rule-30 of CCS (Pension) Rules, 1972	Not Applicable.
7.	Age limit for direct recruitment	Between 18 and 27 years (relaxable for Govt. employees and employees of DDA upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government.
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	i) 12 th Class or equivalent qualification from a recognized Board or University. ii) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on Computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/ 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	a) Age - No b) Educational and other qualification - Yes as in Col.8 above.
10.	Period of probation, if any	Two years
11.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	i. 75% by direct recruitment (50% LDC-Cum-English Typist & 25% LDC-cum-Hindi Typist). ii. 15% of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'D' Regular staff (to be upgraded to Group 'C' as per 6 th Central Pay Commission report) who possess 12 th Class pass or equivalent qualification from recognized Board or University and have rendered two years regular service in Group 'D' post (to be upgraded to Group 'C' as per 6 th Central Pay Commission report), on the basis of departmental competitive examination. The panel shall be prepared on the basis of merit maintaining the inter-seniority among the qualified candidates. iii. 10% of the vacancies by seniority - cum- fitness who possess 12 th Class pass or equivalent qualification from recognized Board or University and have rendered minimum of two years of regular service in regular Group 'D' post (to be upgraded to Group 'C' as per 6 th Central Pay Commission report). All Group 'D' employees (to be upgraded to Group 'C' as per 6 th Central Pay Commission report) having defined hierarchy in their own cadre like Malis, Security Guard etc., shall not be entitled to promotion as LDC.
12.	In case of recruitment by promotion/ transfer/ deputation, grades from which promotions/	As stated in Column 11

	transfer / deputation is to be made	
13.	If a DPC exists what is its composition	<u>For Promotion</u> "Junior level DPC for Group 'C' officials" as notified from time to time by DDA.

[No. F. 6(13)/89/PB-III/Part/RRs 3424]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.